महत्वपूर्ण एवं खास

करंट की चपेट में आने से फि र हुई शावक हाथी की मौत, वन विभाग जांच में जुटी

रायगढ़ (आरएनएस)। जिले के घरघोड़ा उप वनमंडल क्षेत्र के ग्राम पुसल्दा में करंट की चपेट में आने से शावक हाथी की मौत हो गई। मौके में पहुंची वन विभाग की टीम ने मामले को जांच में लिया है। ग्राम पुसल्दा में एक किसान के बगीचे में बोर पंप चलाने वाले तार के करंट से शावक हाथी की मौत हुई है। शावक हाथी लगभग 5-6 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके में पहुंची वन विभाग की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं मामले को जांच में लिया है।

बाइक सवार युवक ट्रक से टकराया, मौत

रायपुर (आरएनएस)। धनेली सीतला तालाब के पास बाइक सवार अधेड़ खड़ी ट्रक से जा टकराया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में धरसींवा पुलिस ने मर्ग कायम कर ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अमर सिंह सहारा 49 वर्ष ग्राम धनेली का रहने वाला था। बताया जाता है कि वह अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी धनेली सीतला तालाब के पास सडक़ किनारे खड़ी ट्रक क्रमांक सीजी 18 एन 7476 से जा टकराया। जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

मनी लॉड्रिंग मामले में 13 जनवरी तक जेल भेजे गए आरोपी

रायपुर (आरएनएस)। मनी लॉड्रिंग मामले में आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपियों को अवधि खत्म होने पर न्यायालय में पेश करने से न्यायाधीश ने मना कर दिया, इसके स्थान पर सभी आरोपियों की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाने के निर्देश दिए. वहीं अति आवश्यक होने पर ही कोर्ट लाने के निर्देश ईडी को दिए है। ईडी द्वारा जमा किये गए कंप्लेंट लेटर पंजीयन के लिए न्यायालय में पेश किए जाने की जरूरत को देखते हुए 14 जनवरी 23 को सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी।

धरसींवा के फेक्ट्री में हज़ारों किलोग्राम गांजा का किया गया नष्टीकरनण

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर पुलिस ने नशे के सामानों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. रायपुर रेंज आईजी आरिफ शेख औऱ एसएसपी प्रशांत अग्रवाल एक निजी फैक्ट्री पहुंचे. जहां 5 जिलों का 6,124 किलो गांजे को नष्ट किया गया. दरअसल, धरसींवा के सांकरा स्थित प्लांट में शुक्रवार को गांजा नष्टीकरण कार्य सुबह 11 बजे से शुरू हुआ. ये गांजे पांच जिले के थे, जिसको रायपुर लाकर राख किया गया. भट्ठी में डालकर जलाया गया, ताकि ये नशे का सामान किसी के हाथ न लगे. रायपुर रेंज आईजी आरिफ शेख और एसएसपी रायपुर प्रशांत अग्रवाल, धमतरी एसपी प्रशांत ठाकुर, सीएसपी उरला राजीव शर्मा की उपस्थिति में बड़ी संख्या में थाना क्षेत्रों से आये पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों की उपस्थिति में गांजा नष्टीकरण का काम किया गया. एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार सहित जीआरपी का 6,124 किलो गांजा प्लांट के पॉवर प्लांट में जलाकर नष्ट किया गया।

पूंजीपथरा औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को दस रुपए में मिलेगा गर्म भोजन -शफी अहमद

रायगढ़। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) शफी अहमद दो दिवसीय रायगढ़ जिले के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन 9 दिसंबर को प्रात: पूंजीपथरा औद्योगिक पार्क में नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन द्वारा आयोजित श्रमिक सभा कार्यक्रम में वे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों की बातें भी सुनी और अपने उद्बोधन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के लिए कम राशि में भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलते रहना चाहिए। गुणवत्ता में किसी प्रकार की समझौता नहीं होना चाहिए। अहमद ने पूंजीपथरा औद्योगिक क्षेत्र के हजारों संगठित श्रमिकों के लिए शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का शुभारंभ करने की घोषणा करते हुए औद्योगिक क्षेत्र के संगठित श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने की बात सुनते ही श्रमिकों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने तालियों की गडग़ड़ाहटों के साथ अहमद का धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्रमिकों को मिलेगा सस्ता भोजन, बचत भी बढ़ेगी- विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना का लाभ जिले में केवल एनटीपीसी में ही उपलब्ध है इसके अलावा अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को प्राइवेट कैंटीन में ज्यादा कीमत पर (करीब 70 से 150 रु तक) खाना खरीद कर खाना पड़ता था जिसके कारण उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई में से करीब एक तिहाई हिस्सा केवल उनके खाने पर ही खर्च हो जाता था लेकिन अब सरकार की शहीद वीर नारायण श्रम अन्य योजना के तहत संगठित श्रमिकों को 10 रुपये के दर पर गर्म भोजन उपलब्ध कराने की योजना पूंजीपथरा औद्योगिक क्षेत्र में बहुत जल्द शुरू की जाएगी जिसकी घोषणा आज छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने कर दी है। इससे श्रमिकों को सस्ते दर पर पौष्टिक आहार मिलेगा तो वहीं उनकी कमाई में काफी बचत भी होगी।

शफी ने श्रमिकों के साथ जमीन पर बैठकर किया भोजन- श्रमिक चौपाल में शामिल होने के पश्चात अहमद ने दोपहर का भोजन श्रमिकों के साथ जमीन पर बैठकर किया। उनकी जमीनी सादगी व व्यवहार देखकर जमीन पर बैठे श्रमिक एवं उपस्थित अन्य सभी उनके कायल हो गए। अहमद ने बड़े चाव के साथ श्रमिकों के साथ भोजन ग्रहण किया और जल्द ही घोषणा को पूरा करने की बात कही।

तहसीलदार ने संयुक्त टीम बनाकर अवैध धान जप्ती की कार्यवाही

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दकी के निर्देशन में जिले में धान खरीदी कार्यों में गड़बड़ी के संबंध में निगरानी एवं जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में सारंगढ़ तहसीलदार एवं मंडी सचिव की संयुक्त उडऩदस्ता टीम द्वारा कार्यवाही की गई। कार्यवाही में सारंगढ़ और कोसीर के तीन अलग-अलग स्थलों में कार्यवाही कर अवैध धान जप्त किया गया। जिसमें ग्राम लेंधरा छोटे कोसीर तहसील के केशव किराना एवं जनरल स्टोर्स पर कार्यवाही कर 52 कट्टा धान (40 किलो भरती), 20.80 क्विंटल कुल धान जप्त किया गया। उक्त दुकान खगेश्वर साहू के नाम पर है। सारंगढ़ तहसील के ग्राम छिन्द के राजेन्द्र साहू किराना दुकान पर कार्यवाही कर 17 कट्टा धान (40 किलो भरती), 6.80 क्विंटल धान एवं 41 कट्टा धान (50 किलो भरती) 20.50 क्विंटल जप्त किया गया। उक्त दुकान राजेन्द्र कुमार साहू के नाम पर है। इसी तरह सारंगढ़ तहसील के ग्राम छिन्द के कान्हा ट्रेडर्स पर कार्यवाही कर 142 कट्टा धान (40 किलो भरती लगभग), 56.80 क्विंटल कुल धान जप्त किया गया। उक्त दुकान दीनदयाल केडिया के नाम पर है। ज्ञातव्य है कि जिले में धान खरीदी कार्यों को लेकर प्रशासन लगातार मुस्तैद है, जांच एवं निगरानी के लिए बनाई गई उडऩदस्ता टीम लगातार गड़बड़ी एवं अव्यवस्था की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

डूडा इलाके से तीन गाजा तस्कर गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों की पतासाजी कर कार्यवाही करने एवं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। इसी तारतम्य में आज थाना टिकरापारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत मुजगहन रोड बोरियाखुर्द पास ग्राम डूण्डा स्थित एक मकान में कुछ व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थ गांजा की खरीदी बिक्री की जा रही है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देव चरण पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश चौधरी द्वारा थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक अमित बेरिया को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी टिकरापारा के नेतृत्व में थाना टिकापारा पुलिस की टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये मकान को चिन्हांकित कर मकान में रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही के दौरान मकान के अंदर 03 व्यक्ति उपस्थित पाये गये। जिनसे पूछताछ करने पर व्यक्तियों ने अपना नाम मोह. आजम, दुर्गेश बाघ एवं इकबाल खान निवासी रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा मकान की तलाशी लेने पर झिल्लियों में गांजा रखा होना पाया गया।

निगम कार्यालय के बरामदे से एलईडी टीवी चोरी कर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

❑ आरोपी से टीवी जप्त कर भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। गत अक्टूबर माह में नगर पालिक निगम रायगढ़ के बरामदे में लगे एलईडी टीवी की चोरी कर ले जाने वाले अज्ञात आरोपी की पतासाजी के दौरान आज मुखबिर सूचना पर #कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी अविनाश बरेठ (26 साल) निवासी बापू नगर से 55 इंच एलईडी टीवी बरामद कर आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।

संपत्ति संबंधी अपराधों में माल मुल्जिम की पतासाजी में लगी कोतवाली पुलिस की टीम थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के नेतृत्व में आज दोपहर मुखबिर सूचना पर बापू नगर में रहने वाले अविनाश बरेठ पिता कमलेश्वर बरेठ उम्र 26 साल को हिरासत में लेकर टीवी चोरी के संबंध में कड़ी पूछताछ किया गया। अपराध कायमी के बाद माल मुल्जिम पतासाजी दौरान विवेचनाधिकारी को निगम में काम करने वालों ने वहां काम करने वाले अविनाश बरेठ पर टीवी चोरी की शंका जाहिर किये थे, अविनाश भी तब से घर में नहीं था। आज क्षेत्र में अविनाश को देखे जाने पर मुखबिर द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दिया गया जिसे हिरासत में लेकर आरोपी के पास से 55 इंच एलइडी टीवी (WORLDTECH कंपनी) का जप्त किया गया है जब्त टीवी की कीमत करीब 60,000 रुपए है। नगर पालिक निगम कार्यालय के बरामदे से चोरी इस एलईडी टीवी के संबंध में 21 अक्टूबर 2022 को नगर निगम के राम नारायण पटेल द्वारा थाना कोतवाली में आवेदन देकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज कर लगातार माल मुलजिम की पतासाजी की जा रही थी और कोतवाली पुलिस के हाथ आरोपी आया है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के हमराह माल मुल्जिम पतासाजी में प्रधान आरक्षक नंद कुमार सारथी, विक्रम चौरसिया, आरक्षक जग मोहन ओग्रे और उत्तम सारथी की अहम भूमिका रही है।

वर्ग विशेष के निर्माणाधीन प्रार्थना स्थल पर धमकी भरा पर्चा के साथ आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

❑ निजी स्वार्थ और ईर्ष्या की वजह से जमगहन निवासी पिता-पुत्र ने दिया था घटना को अंजाम

रायगढ़। थाना छाल अंतर्गत ग्राम बोजिया में वर्ग विशेष के निर्माणाधीन प्रार्थना स्थल पर आपत्तिजनक सूअर के सिर के साथ एक धमकी भरा पर्चा फेंके जाने के मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में छाल पुलिस द्वारा किया गया।

गत 05 दिसबंर को थाना छाल में ग्राम बोजिया के कुछ रहवासी एक लिखित आवेदन पत्र लेकर इस आशय का शिकायत पत्र दिया गया कि दिनांक 04-05/12/2022 के दरम्यानी रात्रि अज्ञात असामाजिक तत्व के द्वारा इनके बोजिया निर्माणाधीन प्रार्थना स्थल में सुवर का कटा हुआ सिर को फेंक कर समुदाय के लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने व अपमान करने के आशय से रखा गया है। पास ही एक धमकी भरा पत्र रखा पाया गया था । शिकायती लिखित आवेदन पर से छाल पुलिस द्वारा धारा 295, 507 भादवि का अपराध अज्ञात आरोपी पर दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

मामला वर्ग विशेष की भावनाओं से जुड़े होने के कारण मामले को संजीदगी से लेते हुए एसपी अभिषेक मीणा द्वारा एसडीओपी खरसिया निमिषा पाण्डेय के नेतृत्व में छाल एवं साइबर सेल की टीम को शीघ्र दोषियों की धरपकड़ के लिए लगाया गया। घटना ग्राम बोजिया वनांचल होने के कारण जांच में लगी टीम अपने जांच का दायरा बढ़ायी। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण पुलिस ह्यूमन हिंट के आधार पर लोगों से पूछताछ कर जानकारियां एकत्र करने में जुट गई। जांच टीम द्वारा संभावित असामाजिक तत्वों से सघन पूछताछ की गई जिस दौरान घटना दिनांक की रात्रि संदेही को देखे जाने की सूचना पुलिस को मिली जिस पर जब संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। तब शुरूवात में उनके द्वारा घुमावदार एवं भ्रमित करने का प्रयास किया गया। बाद में जांच टीम तकनीकी एवं उपलब्ध साक्षियों के आधार पर हिकम्मत अमली से पूछताछ किया गया तो आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किये एवं घटना दिनांक का वृतांत बताया।

आरोपी बिरीच राम (50 वर्ष) निवासी जमगहन थाना मालखरौदा द्वारा बताया गया कि वह और उसका पुत्र ग्राम जमगहन थाना मालखरौदा जिला सक्ती में रहता है और अपने बेटे कमलेश (22 वर्ष) के साथ छाल के बोजिया बाजार में मवेशी सूअर के मांस का विक्रय करने आया करता था जिसे इसके साथ ही बाजार में मवेशी सूअर का मांस बेचने वाले अन्य लोग वहां बाजार लगाने से मना कर रहे थे ! कुछ समय पूर्व बाजार का ठेकेदार बोटलाल के द्वारा आरोपी को सूअर का मांस क्षेत्र में बेचने से मना किया ! आरोपियों द्वारा बोटलाल और गांव के प्रमुख व्यक्ति नवल लाल राठिया से भी दुकान लगाने के लिए निवेदन किया गया किंतु बोटलाल उसे दुकान लगाने से साफ मना कर दिया था। जिससे हताश और क्षुब्द्ध होकर बदले के इरादे से बाजार ठेकेदार और मांस दुकान लगाने वाले अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से 4 दिसंबर की रात्रि आरोपी अपने बेटे कमलेश खुंटे के साथ अपाचे मोटरसाइकिल में सूअर का सिर प्लास्टिक बोरी में रख कर लाए और वर्ग विशेष के प्रार्थना स्थल के समीप एक धमकी भरा पर्चा के साथ फेंक कर भाग गए। आरोपियों का उद्देश्य वर्ग विषेष की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर स्थानीय मांस विक्रेताओं से बदला लेने की नियत थी। रायगढ़ पुलिस सभी वर्ग के लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करती है जो उन्होंने संयम बरता और वैधानिक कार्यवाही पर भरोसा जताया। छाल पुलिस द्वारा आरोपी से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की जब्ती की गई है तथा धमकी भरे पत्र के वैज्ञानिक परीक्षण हेतु लिखावट के दस्तावेज की जब्त किये गये हैं। आरोपियों की गिरफ़्तारी एवं मामले का खुलासा करने में छाल एवं साइबर सेल की प्रमुख भूमिका रही है।

यात्रियों की मांग पर रायपुर से इस जयपुर के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी समेत राज्यभर के लोगों की मांग पर रायपुर से जयपुर से के लिए जल्द ही सीधी फ्लाइट शुरू की जा रही है। एयरलाइंस कंपनी ने इस फ्लाइट को अपने विंटर शेड्यूल में शामिल कर लिया है। दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते में उड़ान शुरू हो जाएगी। करीब चार साल पहले एक बार फिर से रायपुर से जयपुर के लिए उड़ान शुरू की गई।

तकनीकी कारणों से इसे बंद कर दिया गया। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष कीर्ति व्यास ने बताया कि रायपुर से जयपुर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने से फायदा होगा। अभी जयपुर जाने के लिए दिल्ली और बंगलुरू होकर विमान सेवा उपलब्ध है लेकिन इसमें 4-5 घंटे लगते है।

मंडौस तूफान के कारण छाए बादल, तापमान में हुई हल्की वृद्धि

रायपुर (आरएनएस)। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मंडौस तूफान के कारण छत्तीसगढ़ में गुरुवार को सुबह से हल्के बादल आ गए। नमी से लगभग सभी जगह रात का तापमान 1-2 डिग्री तक बढ़ गया और ठंड से राहत मिली। लेकिन इसकी वजह से सुबह और शाम को गहरी धुंध नजर आई। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में रात का तापमान सामान्य से अधिक है, जबकि उत्तरी हिस्से में अभी भी ठंड पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले पांच दिनों में 9 से 11 दिसम्बर के मध्य कांकेर जिले के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा होने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने के साथ अधिकतम तापमान 28.0 से 29.0 सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 12.0 से 16.0 सेंटीग्रेड सुबह की हवा में 85 प्रतिशत आद्र्रता और शाम की हवा में 60 प्रतिशत आद्र्रता तथा आने वाले दिनों में हवा उत्तर-पूर्व दिशा से 4.0 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है।

आज शुष्क रहेगा मौसम,बस्तर संभाग में बारिश की संभावना

आज प्रदेश के उत्तरी भाग में आंशिक रूप से कम बादल रह सकते हैं तथा मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के दक्षिणी भाग में आंशिक रूप से बादल रहने की संभावना है साथ ही एक-दो स्थानों पर बस्तर संभाग के जिलों में वर्षा भी हो सकती है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में दो से 3 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट होने तथा उत्तरी भाग में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। प्रदेश में काफी मात्रा में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण बादल छाए हुए हैं।

कायाकल्प योजना अंतर्गत जिले के स्वास्थ्य केंद्रों का हो रहा अंतिम मूल्यांकन

सारंगढ़-बिलाईगढ़। नवगठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एफ..आर.निराला की अध्यक्षता में डॉ.एस.के.खूंटे (जिला नोडल अधिकारी),डॉ.आर.एल. सिदार(बी एमओ सारंगढ),जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन.एल इजारदार, सुश्री योजनागंधा(स्टाफ नर्स),श्री मनीष राज रत्नाकर(फार्मासिस्ट एवं जिला स्टोर कीपर) की टीम के द्वारा जिले के समस्त कायाकल्प योजना के तहत प्रतिभागी स्वास्थ्य केंद्रों का अंतिम मूल्यांकन किया जा रहा है। इस योजना में बरमकेला ब्लॉक के बोंदा, लेंधरा (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) बड़े नवापारा, देवगांव, पीहरा, कर्राकोट एवं नदीगांव (उप स्वास्थ्य केंद्र) विकासखंड बिलाईगढ़ के भटगांव व गोपालपुर(प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) जबकि सारंगढ़ विकासखंड के कनकबीरा, गोडम, भेड़वन, हिर्री (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र),लेंधरा, सालर, उलखर और जशपुर (उप स्वास्थ्य केंद्र) अंतिम राउंड में जगह बनाने में सफलता हासिल की। 09 दिसंबर 2022 को ब्लॉक बरमकेला एवं 10 दिसंबर 2022 को ब्लॉक सारंगढ़ के प्रतिभागी स्वास्थ्य केंद्रों का मूल्यांकन किया गया। जबकि बिलाईगढ़ के प्रतिभागी स्वास्थ्य केंद्रों का मूल्यांकन 13 दिसंबर 2022 को किया जाना प्रस्तावित है। कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन व संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं में सुधार व बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को प्रोत्साहित करने की शुरुआत 2015 में जिला स्तर के अस्पतालों को पुरस्कृत करने के साथ हुई थी। इसका विस्तार 2016 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर किया गया जबकि 2021 से यह योजना उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी संचालित है। वर्ष 2021 में रायगढ़ जिला में रहते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर कनकबीरा एवं उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हरदी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है जबकि और कई स्वास्थ्य केंद्रों को सांत्वना पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं जो जिलेवासियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में गौरव की बात है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480